International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 2; Issue 1; January 2017; Page No. 49-50

वर्तमान समय में लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण

मीनू रानी
सहायक प्रोफेसर, एल. एन. टी. शिक्षा महाविद्यालय, पानीपत, हरियाणा, भारत।

प्रस्तावना

लैंगिकता सामाजिक सरंचित है तथा एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम है। लिंग निर्धारण एक समाज से दूसरे समाज में उसके तरीकों के आधार पर भिन्न है। वह उन तरीकों से ही प्रभावित होता है तथा उसी समाज के सदस्य महिलाओं तथा पुरूषों की भूमिका का निर्धारण करते है। हमारे देश भारत में लैगिंग विभेद के बहुत सारे मामले हमारे सामने आ चुके है। यह एक ज्वलंत मुद्दा है जो आज भी सामाजिक चितंको, राजनीतिक चितंको, भारतीय संसद, मानवाधिकार आयोग के साथ–2 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टो में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जब आज विदित है कि 21वीं सदी में आधुनिकता के जीवन शैली, संस्कृति में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है किन्तु सामाजिक विचारधारा में आमूल चूल परिवर्तन के अलावा कोई और परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लोग आज भी पुरूष प्रधानता जैसी संकीर्णता से ग्रसित है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह उचित है ? किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए किसी भी देश को या वहां की सरकार को इस प्रकार की रणनीतियां बनानी चाहिए जिनसे महिला सशक्तिकरण का आयोग एक सही दिश में हो पायेगा। यह प्रयास व्यक्तिगत स्तर के साथ–2 सार्वभौमिक भी होना आवश्यक है। इसके लिये लोगों को जागरूक किये जाने हेतु भी सरकार को अनेक माध्यमों का इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रयास में मिडिया और सोशल साईट्स नेटवर्क अपनी महती भूमिका निभा सकते है। महिला और पुरूष के बीच की असामनता कई समस्याओ को जन्म देती है और राष्ट्र के विकास में एक बडी बाधा के रूप में आती है। ये महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्हे पुरूषों के समान महत्व मिलें। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। कहा भी गया है कि ''यत्र नार्यसतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । विभिन्न राष्ट्रीय रिपोर्टस को देखते हुए महिला सशक्तिकरण के निहितार्थ आवश्यकता को देखते हुए हमें बढ़ावा देना चाहिए 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरूषों के प्रति महिला लिंग अनुपात में गिरावट आई है भारत में 1901 में 1000 पुरूषों के पीछे 972 महिलाए थी जो 1991 में घटकर 927 हो गई। शैक्षिक संस्थानों में 2001 से 2011 के बीच महिलाओं की श्रम भागीदारी पर 18.3 प्रतिशत है जबकि पुरूष श्रमिकों की भागीदारी 47.4 प्रतिशत है। यह अन्तर शहरी क्षेत्रों में बढ़ जाता है । महिलाओं की प्रशिक्षण, कौशलों तक सीमित पहुंच, शिक्षा एवम् घर के भीतर श्रम संबंधी यौन–विभाजन में परिवर्तन अभाव आदि केवल लैंगिक असमानता में वृद्धि कर रहे है। महिलाओं के प्रति अपराध एवम् हिंसा की बढ़ती घटनाएं। समाज में महिलाओं के मूल्य ह्रास के संकेत है बलात्कार के रूप में महिलाओं के प्रति बढ़ती शारीरिक हिंसा, दहेज हत्याएं, अधिक दहेज के लिए यात्नाएँ, पत्नी उत्पीडन, महिलाओं के प्रति हिंसा एवम् धौंस में वैधानिक अधिनियम के बावजूद पिछले कुछ वर्षो से लगातार वृद्धि हो रही है। महिलाओ के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के प्रयासों ने न तो उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए और न ही महिलाओ की स्थिति और भूमिका के बारे में परम्परागत धरणाओं को कोई चुनौती प्रदान की गई है। सयुंक्त राष्ट्र के 59वें आयोग के अवसर पर 'महिलाओं' की स्थिति के बारे में कहा था कि यदि हम लगातार एक ऐसे समाज में रह रहे है, जहाँ लैंगिक असमानता है तो हम सब कुछ खो रहे हैं ।

लैंगिक समानता का अर्थ

यूनेस्को (UNESCO) ने लैंगिक समानता को इस प्रकार परिभाषित किया है – ''महिलाओं एवम् पुरुषों को समान परिस्थितियों, व्यवहारों एवम् उत्तरदायित्वों को पूरी क्षमता, मानवीय अधिकारों एवम् गरिमा तथा आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनैतिक विकास में योगदान देने हेतु समान परिस्थितियाँ प्राप्त हैं ।

भारत में महिला सशक्तिकरण एवम् लैंगिक समानता की आवश्यकता एवम् महत्व

लैंगिक समानता तब प्राप्त की जा सकती है जब पारितोषिक संसाधन एवम् उनका समान अवसर लोगों की पहुंच में हो एवम् उनका समान आनन्द ले सके भले ही वे पुरूष हो या महिला । लैंगिक समानता इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह केवल निष्पक्ष एवम् करने योग्य उचित बात है बल्कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के उत्पादन एवम् व्यवसाय की तल रेखा है। समाज, राष्ट्र, इंसानियत एवम् उसके अतिरिक्त अन्य कारकों के उत्थान हेड लैंगिक समानता की आवश्यकता एवम् महत्व है।

(विश्व बैंक 2003) की रिपोर्ट के अनुसार, '' यहां पर सामुदयियक विकास हेतु नीतियों के एक समान विकास की समाज में आवश्यकता है एवं इसके विपरीत सामाजिक असमानता से यह सब कार्य विफल हो जाएगें और महिला एवम् पुरूषों में संबंधित असमानता, सीमित प्रभावशीलता कानूनी चिंतागत लागत निहितार्थ भी विफल हो जाएगें

इस प्रकार एक समतावादी समाज के विकास हेतु बहुत से ऐसे कारण है जिनके लिए लैगिंक समानता की आवश्यकता एवम् महत्व है उनमें से कुछ का वर्णन आज हम यहां करेगें–

1. मानवीय विकास

पुरूष एवम् महिला दोनों अभौतिक संसाधन है । जो किसी भी समाज कि विकास हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते है । अरब मानवीय विकास 2002 में कहा गया है कि महिलाओं का कम सशाक्तिकरण एक ऐसा कारक है जो मानवीय विकास को अहम रूप से प्रभावित करता है। इसलिए मानवीय विकास के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है। इसके द्वारा महिलाओं को भी समान रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते है।

2. शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु

प्रत्येक कार्य स्थल महिलाओं और पुरूषों के लिए समानता की अपील करती है प्रत्येक संस्था जो दोनों के समान भागीदारी प्रदान करती है वह उस संस्था के जो दोनों को समान भागीदारी प्रदान

नहीं करती के विपरीत प्रतिभाओं के समुच्चय को आकर्षित करती है, उन्नति करती है। जैसे महिलाएं, पुरूषों की अपेक्षा उच्च शिक्षा में अधिक बढ़ रही है तो वह कार्यस्थल जो ऐसी महिलाओ को आकर्षित नहीं करता । सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को खोने का जोखिम उठा रहा है।

3. आर्थिक विकास के लिए

लैंगिक समानता का जीवन के सभी क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब महिला एवम् पुरूष दोनो विशेषताएं रोजगार में समान भागीदारी बनते है तो यह देश का आर्थिक विकास बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे–2 अवसर बढ़ते है वैसे और आर्थिक व्यक्ति जो पहले से कार्यरत नहीं है वे रोजगार में भागीदार बनते है और इस प्रकार इन बहुसंख्यक नये प्रवेशकों से कार्यस्थल का आर्थिक विकास बढ़ता है।

4. राष्ट्रीय उत्पादकता एवम प्रतिस्पर्धा में सुधर हेतु

विश्व आर्थिक मंच ने राष्ट्रीय उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और लैंगिक समानता में एक सशक्त सहसंबंध पाया है। यह कहा गया है कि ''महिला सशक्तिकरण का अर्थ राष्ट्रीय मानवीय प्रतिभाओं का अधिक प्रभावशाली प्रयोग एवं लैंगिक समानताओं की कमी, उत्पादकता एवम् आर्थिक वृद्धि को बढाती है।

5. प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु

हर राष्ट्र के पास प्रचुर मात्रा में इसके प्राकृतिक संसाधन होते है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए इसके प्राकृतिक संसाधनों का सम्पूर्ण उपयोग होना अनिवार्य है और यह केवल हो तभी सकता है जब पुरूषों एवम् महिलाओं की उन संसाधनों तक समान पहुंच हो। इन संसाधनों का सम्पूर्ण उपयोग तभी सम्भव है, जब कामगार बाजार में अधिक से अधिक मानवीय संसाधन प्रविष्ट हो।

6. घरेलू बौद्धिक वातावरण में सुधार लाने हेतु

यह प्रमाणित है कि शिक्षा बच्चों की गुणवता एवम् परिमाणत्मक शिक्षा में समर्थन एवम् सामान्य वातावरण जो एक शिक्षित मां अपने बच्चों को प्रदान करती है, की सहायता से सुधार लाती है। यहां पर कुछ साक्ष्य हैं जो प्रमाणित करते है कि घरेलू स्तर पर शैक्षिक समानता बच्चों की गुणात्मक शिक्षा पर सकारात्मक बाह्य प्रभाव डालती है उदाहरण के लिए कालसेन ने तर्क दिया कि समान रूप से शिक्षित भाई–बहन एक दूसरे की शैक्षिक सफलता को प्रत्यक्ष समर्थक से शक्ति प्रदान करते है। इस प्रकार समान शैक्षिक स्तर के युगल एक दूसरे की आजीवन शिक्षा को पदोन्नत करते है। अतः दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षित प्रभाव एवम् महिलाएं घरेलू बौद्धिक वातावरण के सुधार में महत्वपूर्ण योग्यदान देती है।

7. संसाधनों की पहुंच हेतु

असमानता एक व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। यह पाया गया है कि महिलाओं की कृषि संसाधनों जैसी भूमि एवम् उर्वरकों तक स्वामित्व को बढ़ाकर खाद्य उत्पादन में सार्थक वृद्धि की जा सकती है एवम् भुखमरी के स्तर को कम किया जा सकता है।

8. निर्धनता को कम करने हेतु

हम सभी यह अच्छे प्रकार से जानते है कि निर्धनता एवम् शिक्षा से निकट संबंधित है यदि बहुत लोग अशिक्षित है तो निर्धन ही रहेगें। निर्धनता एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित कर अवरूद्ध किया जा सकता है। निरक्षरता से छुटकारा पाने में महत्वपूर्ण बाधक है, इसलिए लड़को एवम् लड़कियों को प्राथमिक विद्यालयों में सम्पूर्ण उपस्थिति संख्या हेतु सार्थक प्रगति करनी चाहिए, क्योकि लड़कियाँ, लड़कों के मुकाबले प्राथमिक शिाक्षा पूर्ण नहीं कर रही है। अतः निर्धनता को कम करने हेतु लड़कों एवम् लड़कियों को समान शिक्षा प्रदान करना अवयाश्यक है।

9. मानवीय प्रतिष्ठा कायम करने हेतु

पुरूष एवम् महिला होने के बावजूद आखिरकार हम इंसान है। मनोवैज्ञानिक रूप से यदि हमें जीवन सभी क्षेत्रों में समान व्यवहार मिलता है तो सभी संतुष्ट होते है। दोनों पुरूष एवम् महिला मूल्यहीन महसूस करते है । यदि कार्य का समान उतरदायित्व न प्राप्त हो। यदि हम पीछे मुड़ कर देखे तो हम पाएंगे कि परम्परागत रूप से महिलाएं घरेलू कामकाजों में व्यस्त रहती थी । उनको घर से बाहर जाने एवम् कमाने का मौका नहीं दिया जाता था जिससे वे अपने आपको नकारा एवं मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुष्ट समझने लग गई। अतः मानवीय प्रतिष्ठा कायम करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के समान अवसर प्रदान होने चाहिए ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समानता के तराजू में संतुलन बनाये रखने हेतु पुरूषों एवम् महिलाओं को दोनों घर एवम् कार्यस्थल पर योग्यदान के समान अवसर प्रदान करने चाहिए क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भलाई तथा समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अनिवार्य है। सभी शैक्षिक दावेदारों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस बात को पहचाने की लैंगिक मूल्य एवम् असमानताएं अपनी गहरी जड़े जमा चुकी है और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों संबंधी उदासीनता सक्रिय प्रतिरोध के रूप में सामने आ चुकी है। सभी स्तरों पर अभिभावको, शिक्षकों एवम् वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से वाद–विवाद एवम् चिन्तन कर इनके प्रति विरोध प्रकट करना चाहिए। विद्यायल में लैंगिक समानता को बढ़ाने के लाभों पर बल दिया जाना चाहिए तथा लड़कों एवम् लड़कियों के लिए अंतराष्ट्रीय समझौतों के आधार पर विद्यालयों में लैंगिक समानता को बढाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना चाहिए ।

References

1. Aggarwal JC. Basic Ideas in Education Shipra Publication, Delhi, 2001.
2. Chaudhaudhri M. Gender in Making India Nation, Delhi, 2003.
3. Kasturi, Leela, Mazumdar, Vina. Woman & India Nationalism, Occasional and Paper No. 20, Delhi, 1994.
4. Kalpagam U. Labour and Gender. Survival in Urban India. New Delhi: Sage Publication, 1994.